न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 210/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/331

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मंगलाराम पुत्र चौथाराम जाति भील निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.अमियाराम पुत्र चौपाला 2.केशाराम पुत्र चौपाला 3.कानाराम पुत्र चौपाला 4.तगाराम पुत्र चौपाला 5.धुडाराम पुत्र भोलाराम 6.पारसराम पुत्र काछुड़ा 7.बुलाराम पुत्र चौपाला 8.बंशाराम पुत्र काछुडा 9.भट्टाराम पुत्र जोगाराम 10.लुम्बाराम पुत्र राणाराम 11.सुबटी पत्नी जोगाराम 12.सेवाराम पुत्र चौपाला 13.सीता देवी पत्नी रामचन्द्र 14.हेमाराम पुत्र काछुडा 15.मजनाराम पुत्र मोड़ाराम 16.आम्बाराम पुत्र पुरखाराम 17.घेवरराम पुत्र प्रभुराम 18.पेमाराम पुत्र पुरखाराम 19.सकाराम पुत्र भारताराम जाति भील निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा 20.सुरेश कुमार पुत्र छितरमल भागलपुर 21.अरिहन्त पुत्र मनीष कुमार भागलपुर 22.मनीष कुमार पुत्र छितरमल जाति जैन निवासी–मेट्रो कम्पाउन्ड,गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा 23.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 20 से 22

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 19 व 23

आदेश

दिनांक 20/01/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 348 रकबा 5.0667 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 348 रकबा 5.0667 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 5,6,8 एवं 13 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 20 से 22 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1,2,5,6 व 8 एवं 13 के अधिवक्ता जवाब पेश किए जाने के बाद पैरोकारी हेतु न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 19 व 23 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 348 रकबा 5.0667 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 348 रकबा 5.0667 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही सीमाओं को लेकर वाद–विवाद किया गया है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है। विप्रार्थी को विवादित आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी की भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही एकपक्षीय तैयार की गई है। अंत प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 348 रकबा 5.0667 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 29.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 348 रकबा 5.0667 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/01/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
20/01/2025